उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–96–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2018–60–पी / 98, दिनांक 22 जनवरी, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / आगरा एवं
केस्को, कानपुर

विषय : ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन / अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराये जाने हेतु सम्बन्धित पेंशनर का स्वीकृत आदेश एवं अन्य विवरण कोषागारों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–7 / 2018 / 1247–पी–2–18–सा0(84) / 2014, दिनांक 29.06.2018 सपठित संख्या–2250 / 24–पी0–2–2018–सा0(84), दिनांक 30.10.2018 **(छायाप्रतियां संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेशों द्वारा अनन्तिम पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराई गई प्रक्रिया एवं जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ने अपने पत्रांक–2098 / व्य0अनु0 / मु0को0 / कोषा–1, दिनांक 06.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की है:–

"सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन भुगतान सम्बन्धी स्वीकृत आदेश जो कि कोषागार को संलग्न किया जायेगा में स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवानिवृत्त तिथि, अन्तिम मूलवेतन तथा स्वीकृत की गई अनन्तिम पेंशन तथा आहरित किये जाने वाले लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण एवं बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा आई0एफ0एस0सी0 कोड का विवरण आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित व सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में कोषागारों में प्रेषित करे ताकि भुगतान सुनिश्चित हो सके।"

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि अनन्तिम पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में ऐसे अनन्तिम पेंशन धारक जिनके मामले में 12 माह पूर्व से अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा था, के सम्बन्ध में 12 माह के पश्चात अनन्तिम पेंशन का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही हेतु पेंशन भुगतान अवधि के विस्तारण की अनुमति शासनादेश संख्या–2250 / 24–पी–2–2018–सा0(84) / 14, दिनांक 30.10.2018 एवं 2401 / 24–पी–2–2018–सा0(84) / 14, दिनांक 06.12.2018 के द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित मामलों में कोर्ट में अन्तिम निर्णय होने तक प्रदान की गई है, जिसकी सूचना कारपोरेशन द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः कृपया उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानानुसार एवं मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ के उक्त पत्र द्वारा अपेक्षित अनन्तिम पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमश.

संख्या– 96(।)पें0एण्डआर0–28/पाकालि/18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्कॉम।
3. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्कॉम।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कट फाईल।

आज्ञा से,

22-01-19

(सैयद आरिफ हैदर)

अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या-7 /2018 /1247/24-पी-2-18- सा0(84)/2014

प्रेषकः

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, कोषागार,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

2-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 29 जून 2018

विषयः- **ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2018/810/24-पी-2-17-सा0(84)/ 2014 दिनांक 26 मार्च, 2018 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैः-

(1) प्रत्येक निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समुचित स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार तथा प्रदेश के सभी कोषागारों को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) सचिव, ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2- 16-सा0 (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निदेशक कोषागार, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित किये गये है, के द्वारा उपर्युक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर संबंधित जनपद के कोषागार को प्रेषित किये जायेगें।

(3) अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी आदेश में सेवानिवृत्त कार्मिक के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जायेगा। आदेश के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित एवं आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन का देयक संगत ट्रेजरी बिल फार्म संख्या 106 पर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा देयक प्रतिहस्ताक्षरित कर बिल का आहरण अपने डी0डी0ओ0 कोड पर करते हुये अनन्तिम पेंशन की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।

(6) अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ करने के पहले अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के रूप में आहरित धनराशि का समायोजन क्रमशः पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किया जायेगा। इस हेतु तैनाती के अन्तिम कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण पत्र जो संबंधित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उस कोषागार को प्रेषित किया जायेगा, जहां से अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ किया जाना है।

(7) यह आदेश दिनांक 01.04.2018 से लागू माने जायेंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-10-124/54-2018 दिनांक 27 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या- **7 / 2018** /1247(1)/24-पी-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव/निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

एस0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव

1296 /18

5391

संख्या–2250/24–पी–2–2018–सा0(84)/14

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, लखनऊ।

3429/MD/18
30/10/2018

ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक :30 अक्टूबर, 2018

विषय :– कोषागार के माध्यम से ऊर्जा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर का0 लि0 के पत्र सं0–1280–पे0एवं0आर0–28/पाकालि/2017–60–पी/98 (टी0सी0–1), दिनांक 29.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उर्जा वितरण कम्पनियों के अनन्तिम पेंशन धारकों की संख्या एवं अन्तिम पेंशन स्वीकृत न हो पाने के कारणों से अवगत कराते हुये अनन्तिम पेंशन भुगतान आदेश की अवधि का विस्तारण दिनांक 31.03.2019 तक कराये जाने की अनुमति शासन स्तर से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं0–2/2018/810/24–पी–2–17–सा0(84)/2014 दिनांक–26.03.2018 एवं शासनादेश सं0–7/2018/1247/24–पी–2–18–सा0(84)/2014 दिनांक 29.06.2018 के कम में ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के अनन्तिम पेंशन धारकों (सूची संलग्न) को अनन्तिम पेंशन का भुगतान के ऐसे प्रकरण जिनमें विभागीय स्तर की जॉच/अनुशासनिक कार्यवाही अथवा पेंशन प्रपत्रों के अपूर्ण होने के कारण अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है, उन मामलों में पूर्व अनन्तिम पेंशन भुगतान आदेश की अवधि के विस्तारण की अनुमति दिनांक 31.03.2019 तक प्रदान की जाती है तथा उर्जा निगमों के ऐसे अनन्तिम पेंशनर्स जिसके प्रकरण में मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, उन मामलों में अनन्तिम पेंशन भुगतान आदेश में मा0 न्यायालय में लम्बित वाद का उल्लेख करते हुये प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– अनन्तिम पेंशन की अवधि के विस्तारण के संलग्न सूची में उल्लिखित प्रत्येक मामले में पेंशन स्वीकृता अधिकारी द्वारा इस शासनादेश का सन्दर्भ देते हुये पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

.........2

DIR (P&A)
Sir,
30.10.18
(राज कुमार)
अपर निजी सचिव (सं०)
प्रबन्ध निदेशक, उप्रपाकालि

30/x/18

ARO(R)
30/10/18

3– यह भी देखा जायेगा कि अन्तिम पेंशन स्वीकृत होने में विलम्ब के लिये संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष तो दोषी नहीं है और यदि दोषी है, तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जाये। यदि दिनांक 31.03.2019 से आगे विस्तारण की आवश्यकता पडती है तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कृत कार्यवाही से भी शासन को अवगत कराया जायेगा।

इस संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक–26.03.2018 एवं 29.06.2018 की अन्य शर्ते / प्रावधान यथावत लागू मानें जायेंगे।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2250(1) / 2018 / 24–पी–2–17–सा0(84) / 2018, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3.निदेशक कोषागार उ0प्र0, जवाहर भवन लखनऊ।
4.प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5.प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0, केस्कों, कानपुर।
6.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7.निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
8.समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9.सचिव / निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
अनु सचिव।

11931/MD/18
11-12-18

प्रेषक,

मुख्य कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट,
लखनऊ।

Imp
Dir (P&A)/(F&A)

सेवा में,

प्रबन्ध, निदेशक,
उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लि0
लखनऊ।

सं0 1293 अपर सचिव–तृतीय/पाकालि/
दिनांक 13/12/18

10/12/18
प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र०पा०का०लि०

9463

पत्रांक–2098 / व्य0अनु0 / मु0को0 / कोषा–1 दिनांकः– 06/12/2012

विषय– कोषागार स्तर से अनन्तिम पेंशन भुगतान करने हेतु सम्बन्धित पेंशनर का स्वीकृत आदेश कोषागार में प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–7 / 2018 / 1247 / 24–पी–2–18–सा0 (84) / 2014 ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 29 जून 2018 तथा संख्या –2250 / 24–पी0–2–2018–सा0 (84) / ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन / ग्रेच्युटी कोषागार के माध्यम से दिनांक 01.04.2018 से भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

शासनादेश में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक को अनन्तिम पेंशन भुगतान सम्बन्धी स्वीकृत आदेश जो कि कोषागार को संलग्न किया जाएगा मे स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त कार्मिक का सेवानिवृत्त तिथि, अन्तिम मूल वेतन, तथा स्वीकृत की गई अनन्तिम पेंशन तथा आहरित किए जाने वाले लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण एवं बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा आई0एफ0एस0 कोड का विवरण आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित व सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में कोषागार में प्रेषित करें ताकि भुगतान सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(संजय सिंह)
मुख्य कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट,
लखनऊ

अनु-3

6
14/12/18
निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

J.S. (N.G.)
13/12/18

Imp
US (P&R)
13/12/18

ARO(R)
14/12/18